2/c

QUTABGARH EXTENSION COLONY
Ladrawan Road,Qutabgarh, Delhi-110039

To,

The Addl. Secretary,
Delhi Sectt. I.P. Estate,
New Delhi.

SUB:- REGULARISATION OF UNAUTHORISED COLLONY.

Respected Sir,

I am hereby submitting application format to regularize our Colony 'Qutubgarh Ext. Colony' which exizts since 1988. I hope you will regularize this colony.

Thanking you

Applicant

Qutabgarh Ext. Colony
(Resident Society)

President
QUTAB GARH EXT.
Delhi-110039

Secretary of
QUTAB GARH EXT.
Delhi-110039

FOR REGULARISATION *

PART-I

1. Name of the Unauthorised Colony — Qutabgarh Ext Colony
2. Location/Address — Qutabgarh Delhi 39
   Police Station — Kanjhawala
   Revenue Sub Division — Kanjhawala
   Revenue District — N.W.
   Pin Code — 110039
3. Date since when the colony exists — June 1980
4. Description of boundary (to be submitted alongwith location/site plan on scale of 1:6000)
   North
   South
   East
   West
5. Area of colony (approx.) in hectare/Sq.m. — about 2 hectare
6. No. of plots (as on 31.03.2002) — (i) Built-up 50; (ii) Vacant 26; Total 76
7. Population (approx) .... Persons
8. Whether RWA/Residents Society is Constituted? Yes/No (Yes ticked)
9. Whether RWA/Resident Society is registered? — No
   If Yes, the details of registration, Date, Regn. No. etc.
10. If there are more than one RWA in the colony the name and details of office bearers of the RWA other than the one submitting this application — Yes/No (No ticked)
11. Names, address and Telephone Nos. of office bearers of existing or Proposed RWA/Resident Society — 27741812 V.P.O Qutabgarh Delhi-39, 20091898

12. Facilities Existing	Yes/No	If Yes (how many)
Dispensary	No	
School	No	
Park	No	
Community Hall	No	
Piped Water Supply	No	
Sewerage	No	
Electricity	Yes	

13. Any other information

[Signature] President of QUTAB GARH EXT. Colony Delhi-110039

Signature of President/Secy. of RWA with Name and Address
SH. PARTAP SINGH
H.No. 233 V.& P.O. QUTAB GARH
DELHI-110039

Encls. 1. Location/Site plan on scale of 1:6000
2. List of property owners as per Part II of the proforma
3. Seven additional sets of the application forms with enclosures

Date:

* The submission of this application does not give any right for regularization.

PART-II

INFORMATION IN RESPECT OF PROPERTY OWNERS OF THE UNAUTHORISED COLONY (TO BE PROVIDED BY RESIDENT WELFARE ASSOCIATION)

NAME AND ADDRESS OF COLONY:

NAME OF RESIDENT WELFARE ASSOCIATION:

Name of Property Owner	Father's/ Husband's Name	Plot No./ House No.	Whether Plot/Flat	Telephone No. if any	Water (Yes/No)	Electricity Connection (Yes/No)	Whether member of RWA/Society (Yes/No)
Partap Singh	Amarsingh	1	Plot	-		Yes	President
Satpal	Amarsingh	"		—		Yes	Secretary

Name & Signature
1. President/ Secretary
[Signature] (Partap) President of QUTAB GARH EXT. Delhi-110039

DP/1157/2004-05

Pulse Polio Day on 21st November, 2004

[Signature] Satpal
Secretary of QUTAB GARH EXT. Delhi-110039

3/C

00255

5/c

QUTABGARH EXTENSION COLONY

Ladrawan Road, Qutabgarh, Delhi-110039

To,

The Addl. Secretary,
Delhi Sectt. I.P. Estate.
New Delhi.

SUB:- REGULARISATION OF UNAUTHORISED COLLONY.

Respected Sir,

I am hereby submitting application format to regularize our Colony 'Qutubgarh Ext. Colony' which exizts since 1988. I hope you will regularize this colony.

Thanking you

Applicant
5/11/14/82

Qutabgarh Ext. Colony
(Resident Society)

RH EXT,
Delhi-110039

5/5/82
Secretary of
QUTAB GARH EXT.
Delhi-110039

E/C

No 00255

APPLICATION FOR UNAUTHORISED COLONIES TO BE CONSIDERED FOR REGULARISATION *

PART-I

1. Name of the Unauthorised Colony: Qutabgarh Ext. Colony
2. Location/Address: Qutabgarh-Delhi 39
   - Police Station: Kanjhawala
   - Revenue Sub Division: Kanjhawala
   - Revenue District: N.W.
   - Pin Code: 110039
3. Date since when the colony exists: June, 1988
4. Description of boundary (to be submitted alongwith location/site plan on scale of 1:5000)
   - North
   - South
   - East
   - West
5. Area of colony (approx.) in hectare/Sq.m.: about 2 hectare
6. No. of plots (as on 31.03.2002)
   - (i) Built-up: 50
   - (ii) Vacant: 26
   - Total: 76
7. Population(approx) .... Persons
8. Whether RWA/Residents Society is Constituted? Yes/No ✓
9. Whether RWA/Resident Society is registered? No
   If Yes, the details of registration, Date, Regn. No. etc. —
10. If there are more than one RWA in the colony the name and details of office bearers of the RWA other than the one submitting this application: Yes/No ✓ —
11. Names, address and Telephone Nos. of office bearers of existing or Proposed RWA/Resident Society: 27741812 V.P.O Qutabgarh Delhi-39, 26091898
12. Facilities Existing

Facility	Yes/No	If Yes (how many)
Dispensary	No	
School	No	
Park	No	
Community Hall	No	
Piped Water Supply	No	
Sewerage	No	
Electricity	Yes	

13. Any other information

President of QUTAB GARH EXT. Colony Delhi-110039

Signature of President/Secy. of RWA with Name and Address

SH. PARTAP SINGH
H.No. 233 V&P.O. QUTABGARH
DELHI-110039

Encls. 1. Location/Site plan on scale of 1:5000
2. List of property owners as per Part II of the proforma
3. Seven additional sets of the application forms with enclosures

Date:

* The submission of this application does not give any right for regularization.

PART-II

INFORMATION IN RESPECT OF PROPERTY OWNERS OF THE UNAUTHORISED COLONY (TO BE PROVIDED BY RESIDENT WELFARE ASSOCIATION)

NAME AND ADDRESS OF COLONY:

NAME OF RESIDENT WELFARE ASSOCIATION:

Name of Property Owner	Father's/ Husband's Name	Plot No./ House No.	Whether Plot/Flat	Telephone No. if any	Water (Yes/No)	Electricity Connection (Yes/No)	Whether member of RWA/Society (Yes/No)
Partap Singh	Sh. Amrit Ram	1	Plot	—	—	Yes	President
Satpal	Anup Singh		"	—	—	Yes	Secretary

Name & Signature
1. President/ Secretary

President of QUTAB GARH EXT. Colony Delhi-110039

Secretary of QUTAB GARH EXT. Delhi-110039

DIP/1157/2004-05

Pulse Polio Day on 21st November, 2004

7/c

3

GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
9TH LEVEL, "C" WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

Subject : Regularisation of Unauthorised Colonies

Applications on the prescribed proforma are invited from Residents Welfare Associations/ Residents Societies/Resident Cooperative Societies of unauthorized colonies in NCT of Delhi which were in existence on **31.03.2002** for considering the colonies for regularization as per such terms and conditions as may be approved by the Competent Authority. Resident Welfare Associations/ Resident Societies/Resident Cooperative Societies should submit the application in the prescribed format as under alongwith the location/site plan clearly showing boundaries, approach and other important physical feature on a scale of 1:5000 prepared by a registered Architect/Town Planner, along with seven additional sets.

RWA/RS/RCS who have applied earlier will have to apply afresh. No case of regularization of unauthorized colonies will be considered if they fail to apply afresh in the prescribed proforma.

The 1+7 sets of application forms alongwith the enclosures may be submitted at the Reception Counter Delhi Sectt., I.P. Estate, New Delhi by 30th December, 2004 on working days between 10.00 AM and 2.00 PM.

Note :

1. The submission of the application form as per format in response to this Public Notice does not confer any right for regularization of unauthorized colonies or any commitment for regularization of colonies on the part of the Govt.
2. Wherever RWA/Residents Society has not been constituted/registered steps may be initiated to form/register the same.
3. If there are more than one RWAs in a colony, efforts may be initiated to form a single apex body for the entire colony.
4. This notice does not prevent local bodies/DDA from taking action under their relevant Act/ Rules/Bye-laws.
5. The application format can also be downloaded from the website of Govt. of NCT of Delhi

   http://www.delhigovt.nic.in/ud/welcome.html

(Manisha Saxena)
Addl.Secretary (UC)

8/✓

QUTABGARH EXTENSION COLONY
Ladrawan Road,Qutabgarh, Delhi-110039

To.

The Addl. Secretary.
Delhi Sectt. I.P. Estate.
New Delhi.

SUB:- REGULARISATION OF UNAUTHORISED COLLONY.

Respected Sir.

I am hereby submitting application format to regularize our Colony 'Qutubgarh Ext. Colony' which exizts since 1988. I hope you will regularize this colony.

Thanking you

Applicant

Qutabgarh Ext. Colony
(Resident Society)

कालोनियों में विलटप का प्रतिशत

कालोनी का नाम	गांव का नाम	प्रतिशत
लखीराम पार्क	किराड़ी	58%
मानव विहार	रानी खेड़ा मदन पुर डबास मुबारिक पुर डबास	55%

9/10/07

9/10/07

10/10/07

10/10/07

SDM(SV)

10/10

10/C

कालोनी की लिस्ट ग्राम - कराला

क्रम संख्या	आनन्दपुर धाम	कालोनी में कुल प्लाट	कालोनी में बने हुए मकान	कालोनी मे प्लाट जिनकी चारदीवारी है	कालोनी में प्लाट जो खाली है	कंपिथत
1.	आनन्दपुर धाम	1090	640	215	135	52% Approx
2.	जैन नगर एक्सटेंशन	104	60	40	2	55% Approx

10/10/07

10/10/07

[illegible] कालोनियों की रिपोर्ट [illegible] जगतपुरा

संख्या	कालोनी का नाम	कालोनी के कुल प्लाट	कालोनी में बने हुए मकान	कालोनी के प्लाट जिनकी चार दिवारी है	कालोनी के प्लाट जो खाली है	प्रतिशत
1	जगतपुरा Extn. A Block	202	130	70	2	55%
2.	जगतपुरा Extn B Block	234	176	34	24	58%
3.	उदयपुरी कालोनी	150	80	30	40	53%
4.	जगतपुरा [illegible]	195	134	31	30	59%

9/10/07

10/10/07

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SARASWATI VIHAR)
KANJHAWALA: DELHI

F.SDM (SV)/2007/ 1767 DATED:- 11/10/07

To

The Assistant Director (UC)
Urban Development Deptt.,
9th Level 'C' Wing, Delhi. Sectt.

Sub: Regarding resurvey of unauthorized colonies

Sir,

With reference to your letter no. F 103/UC/UD/2000/MLA/15476 dt 31/08/07 on the subject cited above and to enclose herewith a copy of report of resurvey of the following colonies for taking necessary action at your end.

S.No.	Name of Colony	Regd. No.
1	Qutab Garh Extension	255
2	Lakhi Ram Park	264
3	Bhagya Vihar	1430
4	Ujala Colony Qutabgarh	854
5	Anadpur Dham	1202
6	Qutab Garh Extension	1205
7	Jain Nagar Extension, Karala	93

Encl: As above

(M.K. DWIVEDI)
SUB DIVISIOINAL MAGISTRATE
(SARASWATI VIHAR)

Based on Aerial Photograph

Scrutiny of Layout Plan Submitted by Residents Welfare Association of 1639 Unauthorized Colonies

255/1639 (Based on Aerial Photograph of March 2002 & Details Givien by RWAs)

Sr.No	Regd. No of 1639 U/C list	Year of Submission	Name of the Unauthorized Colony	Name of Layout Plan/ Site Plan	Comparison with LOP/ Site Plan of 2004-05	Name of Residents Welfare Association with Regd. No & Year	March 2002 Aerial Phgraph/ Run No./ Sheet No.	Average Estimate P.C. of built up plots to total plots in March 2002 Based on visual observation	Remarks (As submitted by RWAs)
1	255	2004-05	Qutabgarh Extn. Colony, Qutabgarh, Delhi -39	Kutub Garh Extn, N. Delhi	N.A. -	Not registered	12(65)Pt-I	10% approx.	Area = about 2 ha built up plots = 50 vacant = 26 Total = 76
2	255	2007-08 I	RWA Qutubgarh Ext Delhi -39	LOP Residents Welfare Association Qutubgarh Extn., Delhi-39	different from 2004-05	Residence Welfare Association Qutubgarh Extn., Delhi-39	12(65) Pt-I	30-35% approx.	Area = 7.5 Acres built up plots = 93 vacant = 52
3	255	2007-08 II	Qutabgarh Ext-2	Qutubgarh Extn.-2, New Delhi - 39	largely matches 2004-05	Janhit Kalyan Samiti, Qutubgarh Delhi S-61099/2008	12(65)Pt-I	10% approx.	Area = 4 acre built up plots = 41 vacant = 35
4									Nigam Agarwal 13-1-09 (Scrutinizer) UC Cell

...ING PROGRAMME OF SCRUTINY OF DOUBLE OR TRIPLE FILES CASES SUBMITTED BY RWAs OF UNAUTHORIZED COLONIES

Date: - 20./.01../ 2009

S.No.	Regd. Nos.	Name of the Colony	Name, Post & Contact No. of the Representative		Signature	
			President	General Secretary		
5.	299	RWA Indira Jheel friends Enclave D-86	Sohan Pal Singh	9213627876	P	Sohan Pal Singh
					GS	[illegible]
	299	Rattan Vihar Ram Ngr. Wel. Asso. Kirari, D-86	Gordhan Bhardwaj	25488680 ~~ABSENT~~	P	[signature]
			ARJUN SINGH G. Secy.	9999491572	GS	[signature]
					P	
					GS	
6.	247	A-2 Block Jan Sahyog Samiti Mohan Garden - D-59	Narendra Singh	ABSENT	P	
					GS	
	247	— Same —	— Same —		P	
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
3.					P	
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
4.					P	
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	

HEARING PROGRAMME OF SCRUTINY OF DOUBLE OR TRIPLE FILES CASES SUBMITTED BY RWAs OF UNAUTHORIZED COLONIES

Date: - 20/01/2009

S.No.	Regd. Nos.	Name of the Colony	Name, Post & Contact No. of the Representative		Signature	
			President	General Secretary		
1.	248	RWA Diwan Complex Harsh Vihar, D-93	Sh. Shankar Kashyap	ABSENT	P	
					GS	
	248	RWA Harsh Vihar Delhi-93	Sh. Bhagwant Singh Verma 9910495936		P	[signature] 20/01/09
					GS	
					P	
					GS	
2.	255	Janhit Kalyan Samiti Vill. Qutubgarh, D-39	Sh. Partap Singh 9818504355		P	Partap Singh
					GS	
	255	RWA Qutubgarh Ext. D-39	Sh. Net Ram Sharma 9911623580		P	N.R. Sharma
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
3.	269	Pandav Ngr RWA D-91	~~Panna Giri~~ J.R. Handa 22756085	Panna Giri 22792794	P	[signature]
					GS	Panna Giri
	269	Pandav Ngr. RWA D-91	~~J.R. Handa 22756085~~	ABSENT	P	[signature]
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
4.	286	RWA Vikas Ngr Yadav Enclave, Uttam Ngr D-59	Om Prakash Chauhan 9868629066		P	ओमप्रकाश
					GS	
	286	— Same —	— same —		P	ओमप्रकाश
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	
					P	
					GS	

GOVT. OF NCT OF DELHI: URBAN DEVELOPMENT
(UNAUTHORIZED COLONY CELL)
9TH LEVEL 'C' WING, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE: NEW DELHI.

MINUTES OF THE MEETING WITH THE RWA's OF UNAUTHORIZED COLONIES (MORE THAN ONE CASES) HELD ON 20.01.2009 AT 3.00 PM IN THE CONFERENCE HALL OF PR. SECRETARY (UD)

A Committee constituted for the purpose of examining the cases of unauthorized colonies where more than one RWAs submitted the applications for regularization has been constituted under the chairmanship of the Pr. Secretary (UD). A letter for meeting fixed for 20.01.2009 at 3.00 PM at Delhi Sachivalya, was issued to the RWAs of unauthorized colonies. Intimation on telephone was also given. Meeting of the committee was held on 20.01.2009 at 3.00 PM in the Conference Hall of Pr. Secretary (UD) to consider such cases.

The following representatives of RWAs of unauthorized colonies attended the meeting:

Regn No. 255 : Attended By :

1. Sh. Partap Singh, President, Janhit Kalyan Samiti, Qutubgarh, Delhi-39.
2. Sh. Net Ram Sharma, President, RWA, Qutubgarh Extention, Delhi-39 attended on this Regn No.

Sh. Partap Singh, President, Janhit Kalyan Samiti, Qutubgarh, Delhi-39 has submitted a letter dt. 20.01.2009 in which it has been stated that As already writtern by both the RWAs, both Residents Welfare Associations have merged under the Janhit Kalyan Samiti & requested for issuance of PRC to his association.

A scrutiny chart of 03 Site Plan/LOPs submitted by RWA's, one in the year 2004-05 & 02-LOP in the year 2007-08 against this Regn. No. is available in the file at Flax-'X'. This chart is based on the Aerial Photographs showing the details of both the colonies indicating the name of the colony, comparison of LOP with that of 2004-05, Name of RWAs, average built up percentage in March, 2002 etc.

Recommendations:

सम्पति के स्वामी का नाम	पिता का नाम	मकान न0 प्लाट न0	प्लाट है या फैलेट	क्षेत्रफल न0	जल हां / नही	बिजली का कनैक्शन हां / नही	हस्ताक्षर
सुखबीरसिंह	गोवरधन	72	मकान	75	नही	हाँ	सुखबीर
गोपीराम	भीमसिंह	73	प्लाट	75	"	नहीं	गोपीराम
गोपीराम	भीमसिंह	74	"	75	"	"	गोपी राम
सतीश	तारीफसिंह	74	"	75	"	"	सतीश
सतीश	तारीफसिंह	75	"	75	"	"	सतीश
बलबीरसिंह	भरतु	75	"	75	"	"	बलबीरसिंह
बलबीरसिंह	भरतु	76	"	75	"	"	बलबीरसिंह

सम्पति के स्वामी का नाम	पिता का नाम	मकान न0 प्लाट न0	प्लाट है या फैलेट	क्षेत्रफल न0	जल हां/नही हां/नही	बिजली का कनैक्शन	हस्ताक्षर
करतारसिंह		47	मकान	200	नही	नहीं	
बाला पत्नि	धर्मपाल	48	"	207	"	"	बाला देवी
रोशनी पत्नि	हवासिंह	49	"	200	"	हॉ	रोशनी
जगतसिंह	दलेल	50	प्लाट	200	"	नहीं	[illegible]
सविता पत्नि	रणधीरसिंह	51	"	400	"	"	सविता देवी
रामधन	सुबेसिंह	52	"	400	"	"	राम धन
होशयारसिंह	अन्तराम	53	मकान	200	"	हॉ	होशयारसिंह
होशयारसिंह	अन्तराम	54	मकान	200	"	"	होशयार सिंह
होशयारसिंह	अन्तराम	55	"	200	"	"	होशयारसिंह
कृष्ण	जयनारायण	56	प्लाट	200	"	नहीं	जगमती
3गोपाल		57	"	200	"	"	गोपाल
नरेश	चन्द्रसिंह	58	प्लाट	200	"	नही	[illegible]
खेमचन्द		59	"	150	"	"	खेमचन्द
सुरेश	सुनहरा	60	"	100	"	"	सुरेश
सन्तोष पत्नि	मामूदिन	61	"	100	"	"	सन्तोष
धर्मबीर	हरद्वारी	62	मकान	100		हॉ	[illegible]
सतिश	दाताराम	63	"	100	"	नहीं	Satish
कुलदिप	होशयारसिंह	64	"	100	"	"	[illegible]
कुलदिप	होशयारसिंह	65	"	100	"	"	[illegible]
रामरति पत्नि	यादराम	66	मकान	100	"	नही	रामरति
महिपाल	हरकिशन	67	प्लाट	100	नही	नही	[illegible]
मुखत्यारसिंह	भिमसिंह	68	मकान	100	"	"	मुख्त्यार सिंह
प्रेमचन्द	भरतसिंह	69	मकान	100		"	[illegible]
प्रतापसिंह	अन्तराम	70	प्लाट	160		"	प्रतापसिंह
सुखबीरसिंह	गोवरधन	71	मकान	75		हॉ	सुखबीर

सम्पति के स्वामी का नाम सरकरी पार्क	पिता का नाम	मकान न0 प्लाट न0	प्लाट है या फैलेट	क्षेत्रफल	जल हां/नही	बिजली का कनैक्शन हां/नही	हस्ताक्षर
कृष्णा	रामनारायण	22	प्लाट	180	नही	नहीं	कृष्णा
अरूण	जगदिश	23	मकान	205	"	"	[illegible]
मिंतर		24	"	150	"	"	[illegible]
मिंतर		25	"	150	"	"	[illegible]
बतुली पत्नि	लतीफ	26	"	185	"	"	[illegible]
कृष्णा पत्नि	शिशपाल	27	"	300	"	"	कृष्णा
ईदंरसिंह	दलेल	28	"	350	"	"	I S Lamba
कुलदिपसिंह	होशयारसिंह	29	प्लाट	150	"	"	[illegible]
ओपीदहिया		30	"	150	"	"	OP Dahiya
श्रीनिवास	रामें	31	"	150	"	"	श्रीनिवास
राजसिंह	गोवरधन	32	मकान	200	"	"	राजसिंह
ओमप्रकाश	सुलतान	33	प्लाट	100	"	नही	ओमप्रकाश
ओमप्रकाश	सुलतान	34	"	100	"	"	ओमप्रकाश
कुलदिप	ब्रहमा	34—35	"	200	"	"	[illegible]
विरेन्द्र		36	"	200	"	"	[illegible]
विरेन्द्र		37	"	200	"	"	[illegible]
विरेन्द्र		38	"	200	"	"	
विरेन्द्र		39	"	200	"	"	
भुपसिंह	अन्तराम	40	प्लाट	250	"	नही	भूपसिंह
भुपसिंह	अन्तराम	41	प्लाट	250	नही	नही	भूपसिंह
भुपसिंह	अन्तराम	42	"	250	"	"	भूपसिंह
भुपसिंह	अन्तराम	43	"	250	"	"	भूपसिंह
जगदीश	सुरजभान	44	"	400	"	"	[illegible]
रमेश		45	"	200	"	"	रमेश
हरगोविन्द	रामस्वरूप	46	"	200	"	"	हरगोविन्द

Gulli ... (प्रधान)
जनहित कल्याण समिति
कुतबगढ़, दिल्ली-39
रजि० नं० 61099

अनाधिकृत कालोनी के सम्पत्ति स्वामियों के सम्बन्ध में सूचना
कालोनी का नाम– कुतबगढ़ एक्सटेंशन–2
संस्था का नाम–जनहित कल्याण समिति कुतबगढ़ दिल्ली रजि नं.–61099

सम्पति के स्वामी का नाम	पिता का नाम	मकान न0 प्लाट न0	प्लाट है या फैलेट	क्षेत्रफल	जल हां/नही	बिजली का कनैक्शन हां/नही	हस्ताक्षर
अरूण	जगदिश	1	मकान	392Yd	नहीं	हाँ	[signature]
बलजीतसिंह		2	प्लाट	500Yd	"	नही	बलजीत
बलजीतसिंह	सूबेसिंह	3	"	500	"	"	
प्रतापसिंह	अन्तराम	4	मकान	500	"	हॉ	प्रतापसिंह
रामप्रकाश	महासिंह	5	"	250	"	नहीं	[signature]
रामप्रकाश	महासिंह	6	प्लाट	250	"	"	
धर्मसिंह	महासिंह	7	मकान	250	"	"	[signature]
धर्मसिंह	महासिंह	8	मकान	250	"	हॉ	
जयपाल	रणसिंह	9	प्लाट	230	"	नहीं	जयपाल
बिजेन्द्रसिंह	बलदेवसिंह	10	मकान	230	"	"	बिजेन्द्र
रायसिंह	रसालसिंह	11	"	230	"	हॉ	रायसिंह
रायसिंह	रसालसिंह	12	प्लाट	180	"	नही	रायसिंह
सुशीलकुमार	सुबेसिंह	13	मकान	180	"	हां	सुशील कुमार
जगबीर	यादराम	14	मकान	180	"	नहीं	जगबीर
राजेन्द्रसिंहसागवान		15	प्लाट	200	"	"	[signature]
राजेन्द्रसिंहसागवान		16	"	200	"	"	
राजेन्द्रसिंहसागवान		17	"	200	"	"	
राजेन्द्रसिंहसागवान		18	"	200	"	"	
राजेन्द्रसिंहसागवान		19	प्लाट	200	"	नही	
महाबिरसिह		20	प्लाट	360	नही	नही	महावीर सिंह
कृष्णा	रामनारायण	21	"	180	"	"	कृष्णा

दिल्ली DELHI

15AA 381625

AFFIDAVIT

I, PARTAP SINGH S/O SHRI ANT RAM President of JANHIT KALYAN SAMITI, VILLAGE QUTABGARH, DELHI-39, (REG. NO.61099), do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. That the above said Association is a registered association, vide Regd. No.61099.

2. That I am submitting lay out plan of QUTAB GARH EXTENSION-2, VILLAGE QUTABGARH, DELHI-39, on behalf of our association for sanction.

3. That I am agreed with the submitting lay out plan for sanction on behalf of QUTAB GARH EXTENSION-2, VILLAGE QUTABGARH, DELHI-39.

4. That our Association is ready to pay necessary charges for electricity, water, sewer, drainage etc. to the concerned authorities/departments.

5. That no vacant land is available in our society for community center, part or other activities.

6. That I am not liable to give the undertaking that the vacant land would be transferred in the name of Govt. of India.

DEPONENT.

VERIFICATION :-

Verified at Delhi on 28th day of Jan., 2008, that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and behalf.

DEPONENT.

28 JAN 2008

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

दिल्ली DELHI

E 089979

INDEMENITY BOND

This Indemnity Bond is made at Delhi, on this 28th day of Jan., 2008, by :- SHRI PARTAP SINGH S/O SHRI ANT RAM President of JANHIT KALYAN SAMITI, VILLAGE QUTABGARH, DELHI-39. (REG. NO.61099).

I do hereby indemnity as under :-

1. That I am submitting lay out plan of QUTAB GARH EXTENSION-2, VILLAGE QUTABGARH, DELHI-39, on behalf of our Association for sanction.

2. That I am giving an undertaking on behalf of our Association that Govt. of india will not liable for any loss or damages from natural hazards based on soil conditions to our society.

IN WITNESS WHEREOF this Indemnity Bond is executed by the Executants on the date, month and year first above written in presence of the following witnesses :-

WITNESSES :-

EXECUTANT

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

28 JAN 2008

रजी0 61099

जनहित कल्याण समीति

कुतबगढ़ एक्सटेन्शन–2 दिल्ली–110039

Ref.No..................   Dated ....

जनहित कल्याण समीति के सदस्यों का विवरण

पद का नाम	नाम	व्यवसाय	हस्ताक्षर
प्रधान	श्री प्रताप सिहं	रिटार्यड	....
उप प्रधान	श्री शीशपाल	नौकरी	....
सचिव	श्री कुलदीप सिंह	रिटार्यड	....
सह सचिव	श्री हवा सिहं	नौकरी	....
कोषाध्यक्ष	श्री जगदीश	कृषि	....

सदस्य –

	श्री राम नायायण	समाज सेवा	....
	श्री बलबीर सिंह	नौकरी	....
	श्री सुशील कुमार	नौकरी	....
	श्री अरुण लाम्बा	नौकरी	....
	श्री ओम प्रकाश	समाज सेवा	....

26. समापन:–

यदि संस्था को समाप्त करने की आवश्यकता होगी तो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार किया जा सकेगा।

27. वैधानिक कार्यवाहियां:–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा–6 के अधीन उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार संस्था अध्यक्ष / महासचिव के नाम से मुकद्दमा चला सकती है।

28. संशोधन:–

ज्ञापन पत्र तथा नियम एवं उपनियम में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 एवं 12ए के अनुसार किया जायेगा।

29. अधिनियम को लागू करना:–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की सभी धाराओं के अन्तर्गत सभी उपबन्ध इस संस्था पर लागू होंगे।

30. अनिवार्य प्रमाण–पत्र:–

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियम एवं उपनियमों की सही प्रति है।

अध्यक्ष.................. महासचिव.................. कोषाध्यक्ष..................

19. आय के स्त्रोत:-

संस्था की समस्त आय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में ही खर्च की जायेगी। आय के स्त्रोत निम्न होंगे-

1- सदस्यता शुल्क,

2- मासिक चन्दा, दान तथा विशेष अनुदान आदि।

20. वित्तीय वर्ष:-

संस्था का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से इक्कतीस मार्च तक होगा।

21. लेखा परीक्षण:-

प्रतिवर्ष नियमित रूप से किसी आधिकारिक लेखा परीक्षक द्वारा संस्था का लेखा परीक्षण करवाया जायेगा।

22. धन की व्यवस्था व बैंक खातों का संचालन:-

संस्था में विभिन्न स्त्रोतों से हुई आय को संस्था में तय किये गये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जायेगा। बैंक खाते/खातों का संचालन कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष व महासचिव में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा किया जायेगा जिसमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

23. उपसमिति/शाखा:-

कार्यकारिणी सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शाखा या उपसमितियों का गठन करेगी।

24. सलाहकार बोर्ड:

कार्यकारिणी सभा किसी भी समय किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करने के लिए अधिकृत है। कार्यकारिणी सभा किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य को इस सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष/प्रधान नियुक्त कर सकती है।

25. कार्यकारिणी की वार्षिक सूची:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4 के अन्तर्गत यथापेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची प्रतिवर्ष संस्था पंजीयन कार्यालय में जमा की जायेगी।

सचिव–

संस्था का एक सचिव होगा जो कि संस्था के महासचिव की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

कोषाध्यक्ष

1– संस्था की सभी आय और व्यय का ब्यौरा सुचारू रूप से रखने का अधिकार संस्था के कोषाध्यक्ष के नियंत्रण में होगा।

2– संस्था की सभी आय–व्यय का लेखा–जोखा व्यस्थित तरीके से रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होगी।

3– कार्यकारिणी के अनुसार संस्था के धन को खर्च करेगा।

4– सदस्यता शुल्क व चन्दा एकत्रित करना।

15. पुनः प्रवेशः–

यदि किसी सदस्य को चंदा न जमा करने के आधार पर संस्था की सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया हो तो उसे संस्था की कार्यकारिणी के निर्णय के उपरान्त पुनः सदस्यता प्रदान की जा सकती है, किन्तु उसे सदस्यता की बहाली की तिथि तक का पूर्ण चन्दा जमा करना होगा।

16. अपीलः–

संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार की अपीलें साधारण सभा में की जायेंगी तथा साधारण सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

17. रिक्त स्थानों की पूर्तिः–

संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या कार्यकारिणी सदस्यों में हुई रिक्तता कार्यकारिणी सभा में बहुमत के आधार से पूर्ण की जायेगी। इस प्रकार की गई रिक्तपूर्ति को आगामी साधारण सभा में विचारणार्थ रखना अनिवार्य होगा।

18. चुनावः–

वार्षिक साधारण सभा में प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों का गुप्तमतदान द्वारा या हाथ उठाकर चुनाव होगा।

13. कार्यकारिणी का स्वरूपः—

संस्था की कार्यकारिणी का स्वरूप निम्नानुसार होगा—

1. अध्यक्ष एक
2. उपाध्यक्ष एक
3. महासचिव एक
4. सचिव एक
5. कोषाध्यक्ष एक
6. कार्यकारिणी सदस्य दो से सौलह तक

14. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकारः—

अध्यक्ष

1. कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा की अध्यक्षता करना।
2. किसी विषय पर चर्चा के दौरान यदि समर्थन व विरोध में पड़े मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत डालने का अधिकार होगा।
3. कार्यकारिणी अथवा साधारण सभा की कार्यकारिणी के दौरान नये प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करना।
4. संस्था द्वारा किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना।

उपाध्यक्ष

संस्था का एक उपाध्यक्ष होगा जो कि संस्था के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

महासचिव—

1— संस्था की कार्यकारिणी सभा और साधारण सभा के लिए सूचना जारी करने का अधिकार महासचिव को होगा।

2— संस्था की कार्यवाही से सम्बन्धित रजिस्टर पर कार्यवाही लिखना व अन्य दस्तावेज तैयार करना व करवाना।

3— कार्यालयी डाक को देखना।

4— कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर सदस्यों का पंजीकरण करना।

द) ऐसे किसी भी कार्यक्रम या आयोजन में भाग न लेना जो संस्था के उद्देश्यों और अथवा नियम एवं उपनियमों के खिलाफ हों।

11. कार्यकारिणी:–

1. विस्तार– कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या सदैव कम से कम 7 और अधिक से अधिक 21 होगी।
2. कार्यकाल– प्रत्येक कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
3. सभा सूचना– कार्यकारिणी की सभा सूचना तिथि, समय, स्थान और चर्चा किये जाने वाले विषयों के विवरण के साथ सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को सात दिन पूर्व दी जायेगी।
4. गणपूर्ति– प्रत्येक संस्था की कार्यकारिणी सभा के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का दो तिहाई होगा।
5. कार्यकारिणी सभा– संस्था की कार्यकारिणी सभा नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह के अंतराल से अथवा आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जायेगी।
6. आपात कालीन सभा– आपातकालीन कार्यकारिणी सभा चौबीस घंटे की अल्प सूचना से बुलाई जा सकेगी परन्तु इसके लिए गणपूर्ति दो तिहाई होगी।

12. कार्यकारिणी के कार्य एवं अधिकार:–

1. इस संस्था के ज्ञापन–पत्र में वर्णित समस्त उद्देश्य तथा कार्यकारिणी में मंजूर किये गये प्रस्ताव ही संस्था के कार्य होंगे।
2. कार्यकारिणी के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर तय किये जायेंगे।
3. संस्था की योजना व भावी कार्यक्रम तैयार करना। समस्त कार्य संस्था की कार्यकारिणी की देखरेख में सम्पन्न होंगे तथा किसी कार्य विशेष की सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य को सौंपी जा सकती है।
4. चुनाव अधिकारी के अधिकार तय करना।

र) संस्था का मासिक चंदा जमा न करने पर,

ल) कार्यकारिणी के निर्णयों की उपेक्षा या अवहेलना करने पर।

5. आधार सदस्य

संस्था की पहली कार्यकारिणी सभा के सदस्य/पदाधिकारी संस्था के आधार सदस्य कहलायेंगे।

6. संस्था का/के संरक्षकः–

कार्यकारिणी सभा समय–समय पर संस्था का संरक्षक नियुक्त कर सकती है।

7. साधारण सभा परिभाषितः–

संस्था के सभी सदस्य मिलकर संस्था की साधारण सभा या आम सभा बनाते हैं।

8. साधारण सभाः–

1. सुचना :– प्रत्येक साधारण सभा के लिए सभा की तिथि, समय, स्थान और सभा के दौरान चर्चा किये जाने वाले विषयों की सूचना संस्था के साधारण सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
2. साधारण सभा की अवधिता एवं गणपूर्तिः– संस्था की साधारण की बैठक नियमित रूप से एक साल में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी तथा इसकी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई होगी।

9. सदस्यों के अधिकारः

1. संस्था के सभी सदस्य संस्था द्वारा आयोजित सभी प्रकार के सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रमों, सभाओं तथा अन्य न्यायोचित आयोजनों में भाग ले सकेंगे।
2. संस्था के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके अपना परिचय–पत्र प्राप्त कर सकेगा।

10. सदस्यों के कर्तव्यः–

अ) कार्यकारिणी का चुनाव करना।

ब) साधारण सभा में नियमित रूप से उपस्थित होना।

स) संस्था को समय–समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

संस्था के नियम एवं उपनियम

1. संस्था का नाम :- जनहित कल्याण समिति कुतबगढ़ दिल्ली"

2. संस्था की सदस्यता:-

प्रत्येक व्यस्क स्त्री-पुरूष संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है जो संस्था द्वारा आवेदन के समय प्रभावी सभी शर्तों को पूरा करने योग्य हो परन्तु संस्था की सदस्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यकारिणी का निर्णय निर्णायक होगा।

विशेष टिप्पणी:- सदस्यता प्रदान न करने की स्थिति में कार्यकारिणी के निर्णय की सूचना सम्बन्धित आवेदनकर्ता को देना अनिवार्य होगी।

3. सदस्यता शुल्क व चन्दा:-

सदस्यों से लिया जाने वाला सदस्यता शुल्क व चन्दा समय-समय पर संस्था की कार्यकारिणी सभा में तय किया जायेगा और वर्तमान में यह निम्नानुसार है:-

अ) सदस्यता शुल्क 100/-रूपये प्रत्येक सदस्य को प्रवेश के समय देना होगा,

ब) प्रत्येक सदस्य को 20/-रूपये प्रति माह चन्दे के रूप में निर्धारित रूप से जमा कराना होगा।

4. संस्था की सदस्यता से निष्कासन/निलम्बन:-

कार्यकारिणी निम्न कारणों के आधार पर सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकती है--

अ) सदस्य की मृत्यु होने पर,

ब) संस्था की सदस्यता से स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर,

स) असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर,

द) किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिये जाने पर,

य) संस्था के उद्देश्यों के खिलाफ प्रचार करने का दोषी होने पर,

6— इच्छुक व्यक्ति:—

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता इस संस्था के ज्ञापन—पत्र के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन "जन हित कल्याण समिति, कुतबगढ़ दिल्ली" नामक संस्था के पंजीकरण के इच्छुक हैं:—

क्र. सं.	नाम एवं पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1—	श्री प्रताप सिंह 233, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सेवानिवृत्त	[signature]
2—	श्री शीशपाल 221—बी, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सर्विस	[signature]
3—	श्री कुलदीप सिंह 231, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सेवानिवृत्त	[signature]
4—	श्री हवा सिंह 229—ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सर्विस	Hawa Singh
5—	श्री जगदीश 114—बी, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	जगदीश
6—	श्री ओमप्रकाश 245, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सर्विस	ओमप्रकाश
7—	श्री बलबीर 240—ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सर्विस	Balbir Singh
8—	सुशील कुमार 225—ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सर्विस	सुशील कुमार
9—	अरूण लाम्बा 222—ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सर्विस	[signature]
10—	राम नारायण 237, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	समाजसेवा	रामनारायण

31·

5– कार्यकारिणी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधिन अपेक्षित कार्यकारिणी जिसकों संस्था के कार्यभार सौंपे गये हैं, के नाम पता एवं आदि निम्न प्रकार से हैं:–

क्रम सं.	नाम एवं पता	व्यवसाय	पदनाम
1–	श्री प्रताप सिंह 233, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सेवानिवृत्त	अध्यक्ष
2–	श्री शीशपाल 221–बी, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	उपाध्यक्ष
3–	श्री कुलदीप सिंह 231, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	सेवानिवृत्त	महासचिव
4–	श्री हवा सिंह 229–ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	सचिव
5–	श्री . जगदीश 114–बी, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	कोषाध्यक्ष
6–	श्री ओमप्रकाश 245, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	कार्य. सदस्य
7–	श्री बलबीर 240–ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	कार्य. सदस्य
8–	सुशील कुमार 225–ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	कार्य. सदस्य
9–	अरूण लाम्बा 222–ए, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	कृषि	कार्य. सदस्य
10–	राम नारायण 237, गांव कुतबगढ़, दिल्ली	समाजसेवा	कार्य. सदस्य

33. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्मचारी कानून विशेषज्ञ और या मैनेजर नियुक्त करना और उनको उचित पारिश्रमिक देना।

34. आयकर धारा–11(5) के अनुसार ही चंदे द्वारा प्राप्त रकम का विनियोग किया जायेगा।

संस्था की चल या अचल सम्पत्ति से प्राप्त सारी आय, कमाई ज्ञापन–पत्र में उल्लेखित संस्था के उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयोग की जायेगी और लगाई जायेगी तथा इसका कोई भी लाभ संस्था के वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी एक या अधिक व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया जायेगा या लाभ प्राप्त नहीं करेगा या किसी प्रकार से संस्था का कोई भी सदस्य संस्था की चल व अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या संस्था की सदस्यता के माध्यम से किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं करेगा।

26. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना। धन की व्यवस्था समिति के सदस्यों समाज के लोगों व अन्य दानवीर तथा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में ली जायेगी।
27. स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निजी व्यवसायों की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अपना रोजगार स्थापित करने में हरसंभव आर्थिक व तकनीकि सहायता प्रदान करना।
28. शिक्षा, सांस्कृतिक व अन्य सामाजिक गतिविधियां के विकास के लिए विभिन्न कार्य योजना व कार्यक्रम चलाना जैसे –प्रोढ़–शिक्षा, निबन्ध प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, जलसे, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस कांफ्रेंस आदि।
29. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के नाम में जमीन और या भवन आदि खरीदना या किराये पर लेना देना।
30. आम व्यक्ति को पर्यावरण से सम्बन्धित जानकारी देना तथा हरा–भरा वातावरण बनाने के लिए वृक्षारोपण आदि करना, बीमारियों को प्रदूषण से बचाव के लिए समय–समय पर जानकारी, उपलब्ध कराना तथा सम्बन्धित संस्थाओं से सहायता लेना / देना।
31. बच्चों व युवाओं में के प्रतिभा विकास के लिए शिक्षा, खेलकूद, नृत्य, गायन, संगीत, नाटक सांस्कृतिक व अन्य सामाजिक गतिविधियां के विकास के लिए विभिन्न कार्य योजना व कार्यक्रम चलाना। निबन्ध प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, जलसे, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस कांफ्रेंस आदि का आयोजन करना।
32. प्राइमरी, प्री–प्राइमरी, सैकेंडरी, सीनियर सैकेंडरी व उच्चशिक्षा हेतू विभिन्न स्कूल, विद्यालय व अन्य शिक्षा संस्थान खोलना व शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करना।

18. महिलाओं की उन्नति हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और समाज में लड़कियों को शिक्षा दिलवाने का प्रयत्न करना। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करना।

19. गरीब एवं जरूरत मंद स्त्रियों के घरेलू जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा व साहित्य का प्रबन्ध करना तथा पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए शिविरों का आयोजन करना।

20. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की हर प्रकार से मदद करना तथा गरीब व अनाथ कन्याओं(लड़कियों) की शादियां कराने का प्रबन्ध तथा हर प्रकार से सहायता करना।

21. आम जनता के उपयोग के लिए कम्युनिटी हॉल, बारातघर, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, हैल्थकेयर सेंटर, अनाथालय, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, शिशुगृह (जच्चा–बच्चा केन्द्र) वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, हास्पिटल और रात्रि निवास आदि का निर्माण करना।

22. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे– दहेज प्रथा, बाल विवाह, रूढिवादिता, बालश्रम, नशा, आपसी रंजिश इत्यादि तथा किसी अन्य गैर कानूनी कार्य अपराध में लिप्त होने को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रभावशाली व कानूनी प्रयास करना।

23. प्राकृतिक आपदाओं जैसे– बाढ़, सूखा, भूकम्प या तूफान आदि के समय पीड़ितों की चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर संभव सहायता प्रदान करना।

24. संस्था के सदस्यों व आम जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु उचित, प्रभावशाली और कानूनी कार्यवाही करना/करवाना।

25. सरकार द्वारा विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार-प्रसार करना क्षयरोग, कैंसर, एडस आदि बीमारियों के बारे में सरकारी कार्यक्रम की जानकारी देना एवं चिकित्सा सुविधा हेतु सही मार्गदर्शन करना।

8. समाज के निर्धन, दलित एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना। गरीब एवं प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन देना
9. बालश्रम मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करना।
10. राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों जैसे– पोलियो उन्मूलन अभियान, रक्तदान, नेत्रदान, एड्स के प्रति जन–जागरण लाना।
11. युवाओं को विभिन्न सामाजिक कार्यों के साथ जोड़कर उनमें चरित्र प्रतिभा एवं आत्मविश्वास विकसित करना तथा युवाओं में राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, सेवा तथा सहयोग का भाव विकसित करना।
12. युवा वर्ग के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शैक्षिक व मनोरंजन के संसाधनों का विकास करना।
13. बच्चों तथा युवाओं के लिए नियमित शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना / करना।
14. संस्था के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में सामाजिक और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाना तथा समाज व राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना।
15. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
16. नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना करना तथा समाज को नशामुक्त बनाने का प्रयास करना। समय-समय पर नेत्रदान, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना / करवाना।
17. बहुजन हिताय–बहुजन सुखाय की नीति अपना कर समाज को निर्भय व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

संस्था का ज्ञापन–पत्र

1. संस्था का नामः– "जनहित कल्याण समिति कुतबगढ़ दिल्ली"
2. पंजीकृत कार्यालयः– संस्था का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे रहेगा। वर्तमान में यह निम्न पते पर रहेगाः–
   गांव कुतबगढ़, दिल्ली–110039
3. कार्यक्षेत्रः– दिल्ली
4. संस्था के उद्देश्यः–
   संस्था के मुख्य उद्देश्य जिनके लिए इसका निर्माण हुआ, निम्नलिखित हैः–
   1. संस्था के सदस्यों व आम जनता में बंधुत्व, सहयोग, भाईचारा और राष्ट्र की भावना को बढ़ाना।
   2. भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय, शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए प्रचार करना।
   3. कालोनी में बिजली, पानी, परिवहन, सीवर, नाली, खड़ंजा, सड़क आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाना।
   4. कालोनी को नियमित कराने/कालोनी के विकास के लिए सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों से मुलाकात करना, पत्र व्यवहार करना।
   5. दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण व अन्य सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों से सम्पर्क करना तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
   6. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचाना तथा इससे जन सुविधाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना।
   7. जन सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास करना तथा क्षेत्र/कालोनी के विकास के लिए साफ–सफाई तथा आपसी रखवाली योजना के तहत कार्य करना।

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860

Registration No. S/ 61099 /2008

I hereby certify that "जनहित कल्याण समिति कुतब गढ़ दिल्ली"

located at - गाँव कुतब गढ़ दिल्ली - 110039

has been registered* under SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

Given under my hand at Delhi on this 21st day of January Two Thousand Eight.

Fee of Rs. 50/- Paid

Balwant Singh

(BALWANT SINGH)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

Seal
Registrar of Societies
Delhi

* *This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

			opment
	-Raods -Water Supply -Hand pumps -Tube wells -Underground Water Tank -Street Light -ESS/Transformers/Generators -Drains -Sewerage/Sanitation -Fire fighting installations	No No yes No yes No No No No	
31.	Status of Facilities	Nos./Area/ Width/Length	Stage of Devel-opment
	-Parks/Transport lots/Common -Open space -Schools -Community Hall -Common parking areas -Dispensary/Health Centre -Religious structures -Police Post/Fire Post	No	

Enclosures:

a) Resolution of the Resident Society.
b) Registration Certificate of Society with authenticated List of members/owners/occupants.
c) Existing Survey (05 copies + CD)
d) Regularisation Plans/ 5 Lay out Plan (Service plan (05 copies+ CD).
e) Undertaking as mentioned.
f) Certificates/documents/NOCs as mentioned.

Signature of Authorised Signatory
Resident Society

19.	List of members with Plot/Property No.(to be attached)	76
20.	Percentage of Residents/house owners or member of the Resident Society	54%

21. No. of Built-up Plots: (Min.35% of Gr.Floor permissible coverage)

- (i) Upto 100 sq.mts. - 11
- (ii) Above 100 sq.mts. - 22
- (iii) Above 250 sqm. - 8

22. No. of Vacant Plots:

- (i) Upto 100 sq.mts. - 7
- (ii) Above 100 sq.mts. - 23
- (iii) Above 250 sqm. - 5

23.	Land use: As per Master Plan As per Zonal Plan		
24.	Whether falls in Reserved Forests or Regional Park		Yes/No
25.	Whether the Colony effects/falls over Master Plan Road alignment Railway Line Metro Corridor Water Supply/sewerage lines/Utilities Works	—	—
26.	Any Monuments/Heritage Buildings in the Colony or in the vicinity?		
27.	Key Plan/Site Plan of unauthorised Colony and description of boundaries...................... (Please attach scaled Key Plan/Plan of Colony superimposed on Zonal Plan/City Survey Map indicating North Point, surrounding features, adjacent roads, buildings, drains, electricity, lines etc.)	—	—
28.	NOC as mentioned at para IV (ii):(Please attach)		
29.	Undertaking/Indemnity Bond(Please attach)	—	—
30.	Status of Services	Nos./Area/ Width/Length	Stage of Devel-

प्रधान
जनहित कल्याण समिति
[illegible], दिल्ली-39
रजि० नं० 61049

Applic"on & check list for Regularisation of Unauthorised Colony

(To be filled up by the Resident Society and to be countersigned by Architect-Town Planner & Service Engineer)

1.	Name and address of the Colony	Qutabgarh Ext-2
2.	Regn. No. in the GNCTD list	1539/सूची नं 255
3.	Name of Resident Society	Janhit Kalyan Samiti
4.	Registration no. of the Resident Society (with Registrar of Societies)	S-61099
5.	Names of Physical Surveyor & Socio-economic Surveyor	RK & ASSOCIATES
6.	Name of Services Engineer	DEEPAK AGGARWAL
7.	Name of Supervising Engineer	RAJESH KUMAR.
8.	Name of Authorised Signatories	Partap Singh ✓
9.	Category of colony (as notified vide Public notice dated 14.10.2007)	—
10.	Revenue Village	Qutabgarh
11.	Zone (As per Master Plan of Delhi)	Narela Zone
12.	Date from which unauthorised colony exists	1989
13.	Location/surroundings(Towards North,South,East & West)	East – Qutabgarh Ext West Agri land South – Agri land North – Village Qutabgarh
14.	Development Area No.	MCD/NDMC/Cantt.Board Area?
	Whether falls in Notified Slum Area?	—
15.	Total area of Unauthorised Colony	4 Acre
16.	Land Status/Ownership	ownership
17.	Court Case, if any(Please attach details)	—
18.	Land whether notified for acquisition	—

DEEPAK AGGRWAL
Licn. No. E-1418
Architects Engineers Planners
A-48, Pkt. 00 MIG, Plot,
Sec-2, Rohini, Delhi-85

ARCHITECTS Ph : 2775389
R. K. & ASSOCIATES
CA No. 2000/26030
R. K. House, Narela Road,
Bawana, Delhi-110039

प्रधान
जनहित कल्याण समिति
कुतुबगढ़, दिल्ली-39
रजि० नं० 61099

रजी0 61099

जनहित कल्याण समीति

कुतबगढ़ एक्सटेन्शन–2 दिल्ली–110039

Ref.No..................   Dated ....

सेवा में

शहरी विकाश विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली

विषयः अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए आवेदन पत्र

सविनय निवेदन यह है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिंनाक 14–10–2007 के समाचार पत्रो में सार्वजनिक सुचाना के आधार पर हम कुतबगढ़ गांव के जनहित कल्याण समीति कुतबगढ़ एक्सटेन्शन–2 दिल्ली–110039 के हस्ताक्षरित सदस्य सभी कार्यवाही जैसा कि सार्वजनिक सुचना में दर्साया गया था पुरा करके आवेदन पत्र जमा करा रहे है हमारी कालोनी का नाम [illegible] कुतबगढ़ एक्सटेन्शन–2 दिल्ली–110039 है जिसका रजि0 न. 61099 है। जो कुतबगढ़ गांव के साथ लडरावण रोड़ पश्चिम दिशा में स्थित है।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पत्र सलग्न है ।

1. सी.डी
2. नक्शा
3. इन्डीमनीटी बान्ड
4. ऐफिडेविट
5. आवेदन पत्र
6. सदस्यों की सुचि
7. शया पत्र रजिस्टर्ड समिति

CHECK LIST OF DOCUMENTS

Name of Colony:-
Regn./Sl. No.:-

- **Registration Certificate of Resident Society** yes but not attes.
- **Existing Layout Plan of the colony on the scale of 1:1000, prepared by an Architect/Town Planner signed by President/Secretary of the Resident Society.** yes but not att.
- **Complete list of members with details such as plot Nos. and area of the colony** yes
- **Land status with Khasra No. accompanied by a site plan giving the physical description of the site** No
- **Undertakings:**
    i. **That they shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions** No
    ii. **That they shall transfer the land available, if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure** No

MOST IMMEDIATE

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10[TH] LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P.ESTATE NEW DELHI

F.No Dated:

To

The President,

Qutabgarh (Ext) - 2
Qutabgarh . Delhi 39

Sub: **Verification of documents of unauthorized colonies for the purpose of regularization.**

Sir,

Regd. A preliminary scrutiny of the application submitted by the unauthorized colony and figuring at serial No. 2115-II of the list of such unauthorized colony has been made. It has been noted that you have not submitted the following required documents, along with your application:-

As per check list enclosed.

You are therefore, requested to kindly get the registration of your resident society done immediately, if not already registered, with the Registrar of Societies GNCT of Delhi. A copy of the certificate along with other deficient documents as pointed out above may please be got ready as the government of NCT of Delhi proposes to hold a camp shortly for rectification of deficiencies in the application forms.

This is in pursuance of the decision to grant a provisional registration certificate. The date and time of the camp would be notified through public advertisement.

Yours faithfully

(J.G. ARORA)
DY. SECRETARY (UC)

Encl: Check list. (PTO)

255

Reg. No. 6099

JAN HIT KALYAN SIMITI

Qutabgarh Ext. Colony

Ladrawan Road Delhi-110039

Ref. No. 15 | Dated 20/11/2009

सेवा में

श्रीमान प्रधान सचिव (यू० सी०)
अनाधिकृत कॉलोनी सैल,
दिल्ली सचिवालय,
दिल्ली

महोदय,

निवेदन यह है कि आप कुतबगढ़ एक्स० कॉलोनी की दो फाईलें नक्शे सहित आपके कार्यालय में जमा की गई थी जिनकी रसीद सं० 255 दिनांक 27-12-2004 तथा 1437/255 दिनांक 30-1-2008 जनहित कल्याण समिति द्वारा तथा दूसरी आर० डब्लू० ए० 1395/255 दिनांक 24-1-2008 को जमा की गई। जैसा कि इन दोनों के द्वारा पहले भी लिख कर दिया गया है कि इन दोनों ने अपना विलय करके जनहित कल्याण समिति के अधीन कर लिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन दोनों ~~[illegible]~~ का एक ही प्रमाण पत्र देने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय

[signature] 20/11/09

Pardhan
Residential Welfare Association
Qutab Garh Extension -110039

By Speed Post

GOVT. OF DELHI
DEPTT.OF URBAN DEVELOPMENT
UNAUTHORISED COLONIES CELL
DELHI SECTT. DELHI

F.No. 255/UC/UD/1432 / 747 Dated: 13/1/09

To,

The President / Secretary,
Sh. Partap Singh
Janhit Kalyan Samiti
233, Village Qutubgarh Part-II, Delhi-39
Regd. No S-61099/2008

Sub: Regarding regularization of unauthorized colony at Regd. No.:- 255
Namely: - Qutubgarh Ext-II

Sir,

In Connection with the regularization of unauthorized colony at Regd. No. 255 Namely Qutubgarh Ext-II, you are requested to attend the Office in the conference Hall 9th Level "C" Wing, Delhi Secretariat to present your case on 20th Jan. 09 at 3:15 PM alongwith all relevant records / documents.

Yours faithfully

(J.G. Arora)
Deputy Secretary (UC)

o/c